

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2017

सं. 10/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 372(अ).—केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा और आगे निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का नाम सेनवेट क्रेडिट नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 है।

(2) ये नियम 23 अप्रैल, 2017 से लागू होंगे।

2. सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में-

(1) नियम 2 में, उपवाक्य (ट) में, “इनपुट” सेवा से अभिप्राय से शुरू होने वाले और “हटाए जाने के स्थान तक अंतिम उत्पाद की निकासी” से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को अंतस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“

“इनपुट सेवा से अभिप्राय”

(i) गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई सेवाओं अथवा दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई सेवाओं जिनमें सेवाकर का भुगतान के निर्माता अथवा निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा इन वस्तुओं के आयातक होने के नाते किया जाता है कि वह उक्त कर लगने योग्य सेवाओं के संबंध में सेवाकर अदा करने के लिए दायी व्यक्ति है तथा उक्त आयातित वस्तुएं उसकी आगत अथवा पूंजीगत वस्तुएं हैं; अथवा

(ii) निर्गत सेवा प्रदान किए जाने के लिए के निर्गत सेवा प्रदाता द्वारा प्रयोग की गई कोई भी सेवा; अथवा

(iii) निर्माता द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, हटाए जाने के स्थान तक अंतिम उत्पाद के निर्माता और अंतिम उत्पाद की निकासी के संबंध में प्रयोग की गई कोई भी सेवा;’

(2) नियम 4 में, उपनियम (7) के पश्चात, द्वितीय परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, यथा-

“बशर्ते यह भी कि गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई सेवाओं अथवा दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई सेवाओं जिनमें सेवाकर का भुगतान निर्माता के अथवा निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा इन वस्तुओं के आयातक होने के नाते किया जाता है कि वह उक्त कर लगने योग्य सेवाओं के संबंध में सेवाकर अदा करने के लिए दायी व्यक्ति है तो सेवाकर अदा करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा अदा किए गए सेवाकर के क्रेडिट की अनुमति, ऐसे सेवाकर के अदा किए जाने पर की जाएगी;”

(3) नियम 9 में, उपनियम 1 में, खंड (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, यथा-

“(ड.क) गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई सेवाओं अथवा दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई सेवाओं के संबंध में सेवाकर अदा किए जाने के लिए दायी व्यक्ति के रूप में वस्तुओं के आयातक होने के नाते निर्माता के अथवा निर्गत सेवाओं के प्रदाता द्वारा सेवाकर के भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला एक चालान; अथवा”

[फा०सं० 354/42/2016-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान नियम दिनांक 10 सितंबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 23/2004-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप खंड-(i) में दिनांक 10 सितंबर, 2004 की सा.का.नि. सं 600(अ), के तहत प्रकाशित किए गए थे और इनमें दिनांक 2 फरवरी, 2017 को सा.का.नि.सं० 98(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप खंड-(i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 4/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे), दिनांक 2 फरवरी, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2017

No. 10/2017-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 372(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely : —

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the 23rd day of April, 2017.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004,—

(1) in rule 2, in clause (I), for the words starting with “‘input service’ means’ and ending with “clearance of final products upto the place of removal,” following shall be substituted, namely,—

“‘input service’ means,—

(i) services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India where service tax is paid by the manufacturer or the provider of output service being importer of goods as the person liable for paying service tax for the said taxable services and the said imported goods are his inputs or capital goods; or

(ii) any service used by a provider of output service for providing an output service; or

(iii) any service used by a manufacturer, whether directly or indirectly, in or in relation to the manufacture of final products and clearance of final products upto the place of removal;’;

(2) in rule 4, in sub-rule (7), after the second proviso, following shall be inserted namely,—

“Provided also that in respect of services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India where service tax is paid by the manufacturer or the provider of output service being importer of goods as the person liable for paying service tax for the said taxable services, credit of service tax paid by the person liable for paying service tax shall be allowed after such service tax is paid:”;

- (3) in rule 9, in sub-rule (1), after clause (e), following shall be inserted, namely,-

“(ea) a challan evidencing payment of service tax by the manufacturer or the provider of output service being importer of goods as the person liable for paying service tax for the services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India; or”.

[F. No. 354/42/2016-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification No. 23/2004 - Central Excise (N.T.) dated the 10th September, 2004 *vide* number G.S.R. 600(E), dated the 10th September, 2004 and last amended *vide* notification No. 4/2017 - Central Excise (N.T.) dated 2nd February, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 98 (E), dated the 2nd February, 2017.